राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर झुंझुनू

मु.न. 50 / 2017

1. जगदीश पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी उदावास तहसील व जिला झुंझुनू
2. सुलतान पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी उदावास तहसील व जिला झुंझुनू

वादीगण

बनाम

1. ताराचन्द पुत्र मालाराम जाति चमार निवासी देपलवास तहसील व जिला झुंझुनू
2. रामकुमार पुत्र सुखाराम जाति चमार निवासी देपलवास तहसील व जिला झुंझुनू
3. सुभाषचन्द पुत्र श्रवण जाति नायक निवासी उदावास तहसील व जिला झुंझुनू
4. सीताराम पुत्र पेमाराम जाति मेघवाल निवासी उदावास तहसील व जिला झुंझुनू
5. आनन्द सिंह पुत्र श्री छोटेलाल जाति मेघवाल निवासी बड़ागांव तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू
6. संजय कुमार पुत्र सतवीर जाति नायक निवासी उदावास तहसील व जिला झुंझुनू
7. रघुवीर पुत्र सांवलराम मेघवाल निवासी तिहावली तहसील रामगढ जिला सीकर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुंझुनू

प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता :–

श्री कैलाश कलाण,एडवोकेट – वादीगण की ओर से
श्री श्रवण कुमार जी.ए. – राज्य सरकार की ओर से

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकॉर्ड दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक:–24.09.2018

निर्णय

वाद वादी के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम उदावास पटवार हल्का उदावास तहसील व जिला झुंझुनू की सरहद में कृषि भूमि खसरा न. 848 तादादी 0.12 हैक्टर, खसरा न. 878 तादादी 4.39 हैक्टर कुल किता 2 कुल क्षेत्रफल 4.51 हैक्टर स्थित है। जिसके नये खाता संख्या 74 पुराने खाता संख्या 62 है। उक्त खेत खसरा न. 848 व 878 के रेवेन्यू रिकार्ड में ताराचन्द पुत्र मालाराम, रामकुमार पुत्र सुखाराम का हिस्सा 2 बीघा 3 विश्वा है जो कमशः प्रतिवादी संख्या 1 व 2 है। इसी प्रकार सुभाषचन्द पुत्र श्रवण गुर्जर नायक का हिस्सा 0.1626 हैक्टर है जो प्रतिवादी संख्या 3 है। इसी भांति सुलतान पुत्र मनीराम जाति मेघवाल (चमार) का हिस्सा 0.5974 हैक्टर हिस्सा रकबा 3 बीघा दर हिस्सा 5/18 दर्ज था। इसी प्रकार जगदीश, सीताराम पि. भागीरथ का हिस्सा 10/18 तथा गुलाब पुत्र गणेशराम नायक हिस्सा 1/5 निवासी देपलवास बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज था। उक्त वाद पत्र की धारा 2 में दर्ज रेवेन्यू रिकार्ड में जगदीश, सीताराम पि. भागीरथ हिस्सा 10/18 का इन्द्राज गलत रूप से दर्ज चला आ रहा था क्योकि प्रतिवादी सं. 4 सीताराम, पेमाराम पुत्र खेताराम निवासी उदावास का पुत्र है इसलिए रेवेन्यू रिकार्ड में जगदीश, सीताराम पि. भागीरथ हिस्सा 10/18 गलत रूप से दर्ज हो गया। तत्पश्चात दुरूस्ती आदेश से भी गलत रूप से जगदीश, सीताराम पि. भागीरथ हिस्सा 10/18 के स्थान पर जगदीश, सीताराम पि. मनीराम हिस्सा 10/18 गलत रूप से दर्ज हो गया। वास्तव में मनीराम के केवल दो पुत्र, सुलतान व जगदीश थे जो वादीगण हैं। मनीराम के वादीगण के अलावा अन्य कोई पुत्र नहीं था। राजस्व अधिकारियों ने गलती से प्रतिवादी सं. 4 सीताराम का नाम पहले भागीरथ का पुत्र तत्पश्चात मनीराम का पुत्र गलत रूप से दर्ज कर दिया। प्रतिवादी संख्या 4 सीताराम मनीराम का पुत्र न होने से नामान्तरकरण संख्या

उप खण्ड अधिकारी
झुंझुनू (राज.)

Scanned by CamScanner

534 के जरिये सीताराम पि. मनीराम दर्ज करने की कार्यवाही प्रारम्भ से शून्य एवं निष्प्रभावी थी। उक्त नामान्तरकरण संख्या 534 के जरिये गलत रूप से जगदीश, सीताराम पि. मनीराम 10/18 गलत दर्ज हो गया। गलत रेवेन्यू रिकार्ड से वादीगण कतई पाबन्द नहीं है। प्रतिवादी संख्या 4 सीताराम ने कभी उक्त मनीराम के हिस्से की जमीन को कब्जे काश्त नही किया। उक्त प्रतिवादी संख्या 4 सीताराम शुरू से ही चतुर व चालाक व्यक्ति रहा है और उसकी नियत हमेशा से ही वादीगण के हिस्से की जमीन को हड़पने की रही है प्रतिवादी संख्या 4 पेमाराम का पुत्र था, परन्तु सीताराम का नाम मनीराम के पुत्र के रूप में गलत दर्ज हो गया था। इसलिए तत्कालीन पटवारी हल्का व गिरदावर ने रेवेन्यू रिकार्ड से सीताराम का नाम हटाने के लिए एक नामान्तरकरण संख्या 317 दर्ज किया जिसमें सीताराम पि. मनीराम 1/3 दर हिस्सा 1/2 की जगह वादीगण सुलतान व जगदीश पि. मनीराम 1/2 दर्ज किया गया था। इस इन्तकाल में मनीराम के केवल दो पुत्र सुलतान व जगदीश प्रसाद दर्ज किये गये थे और प्रतिवादी संख्या 4 को पेमाराम के पुत्र के रूप में दर्ज किया गया था। पेमाराम की वंशावली में पेमाराम के पुत्रगण पालाराम, सीताराम, रामवतार, राजेश दर्ज किये गये थे। किन्तु तत्कालीन सरपंच ने वारिसान को विवादग्रस्त बताकर दर्ज नामान्तरकरण को कांट–छांट करके अस्वीकार कर दिया। जबकि पटवारी हल्का, गिरदावर इत्यादि भू–राजस्व अधिकारियों ने नामान्तरकरण संख्या 317 सही तथ्यों के आधार पर दर्ज किया था जिससे कानूनन स्वीकार किया जाना चाहिए था। इसके अलावा ग्राम पंचायत उदावास की वोटर लिस्ट में क्रमांक 269 व संख्या YHT/0537811 पर सीताराम पुत्र पेमाराम स्पष्ट रूप से दर्ज है इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 4 सीताराम ने अपने घर पर विद्युत कनेक्शन भी लिया था जिसमें भी सीताराम पुत्र पेमाराम स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। तत्कालीन सरपंच जगदीश प्रसाद ने भी दिनांक 05.05.1995 को एक वारिसनामा जारी कर प्रमाणित किया कि मनीराम मेघवाल के दो पुत्र है जो जगदीश व सुलतान है इसके अलावा मनीराम ने कोई पुत्र नहीं है। इसे अलावा ग्राम उदावास के ग्रामवासी भली भांति जानते है कि प्रतिवादी संख्या 4 सीताराम, मनीराम का पुत्र न होकर पेमाराम का पुत्र है और उसका कोई हक हिस्सा वादग्रस्त खेत में कभी नहीं रहा है। उक्त गलत रूप से चले आ रहे रेवेन्यू रिकार्ड का फायदा उठाकर दिनांक 31.08.2016 को प्रतिवादी संख्या 4 सीताराम के खसरा न. 848 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा न. 878 रकबा 4.39 हैक्टर कुल रकबा 4.51 हैक्टर में 1.2528 हैक्टर दर हिस्सा 5/18 रकबा बताकर उक्त 1.2528 हैक्टर दर हिस्सा 5/18 का बेचान प्रतिवादी संख्या 7 के हक में करना बताकर एक फर्जी एंव अवैध विकय पत्र दिनांक 31.08.2016 को प्रतिवादी संख्या 4 ने प्रतिवादी संख्या 7 के हक में पंजीकृत करवा दिया। उक्त विकय पत्र वादीगण के हक अधिकारो पर शून्य एवं बेअसर है क्योंकि उक्त विकय पत्र ने मनीराम का पुत्र बनकर गलत रूप से दर्ज चला रहा है राजस्व रिकार्ड को अनुचित फायदा उठाकर निष्पादन करवाया है। प्रतिवादी संख्या 4 को मनीराम का पुत्र बनकर 1.2528 हैक्टर दर हिस्सा 5/18 का बेचान प्रतिवादी संख्या 7 के हक में करवाने का कोई कानूनी हक अधिकार प्राप्त नही था। उक्त तथा कथित शून्य एवं निष्प्रभावी विकय पत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 7 को हक अधिकार वादग्रस्त जमीन में प्राप्त नहीं होते है। उक्त प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा स्वयं को मनीराम का पुत्र बताकर प्रतिवादी संख्या 7 के हक मे पंजीबद्ध करवाये गये विकय पत्र की जानकारी वादीगण को गांव वालो के माध्यम से मिली। जिस पर वादीगण ने विकय पत्र दिनांक 03.08.2016 की सत्यप्रति निकलवाई तब वादीगण को ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी संख्या 4 ने षड़यन्त्र पूर्वक प्रतिवादी संख्या 7 से मिलकर गलत रूप से दर्ज चले आ रहे गलत रेवेन्यू रिकार्ड का नाजायज फायदा उठाकर खसरा न. 848, 878 मे 5/18 हिस्सा बताकर तथा अपने को सीताराम का पुत्र मनीराम निवासी उदावास गलत दर्ज कर रजिस्ट्री करवाई है जो शुरू से ही वादीगण के हक अधिकारों पर शून्य एवं निष्प्रभावी है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रतिवादी संख्या 7 के हक में पंजीबद्ध करवाया गया विकय पत्र दिनांक 31.08.2016 को वादीगण के हक अधिकारो पर शून्य व निष्प्रभावी मानकर रेवेन्यू रिकार्ड दुरूस्त फरमाया जाना न्यायसंगत एवं न्यायोचित होगा। उक्त खसरा न. 448 व 478 मे हिस्सा 1.2528 दर हिस्सा 5/18 का रजिस्ट्री करवाने के पश्चात प्रतिवादी संख्या 4 व 7 मौके पर वादी के हिस्से की भूमि को अपने पिता मनीराम से मिली थी। विकय पत्र मे दर्ज 5/18 हिस्से की जमीन पर नाजायज कब्जा करेगे और वादीगण को उनके हिस्से से बेदखल करने की पुरी साजिश है। इसलिए प्रतिवादी न. 4 व 7 को वादीगण के

उप खण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Scanned by CamScanner

6

हक हिस्से का जबरन दिगर व्यक्तियों को बेचान दान न करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने हेतु निवेदन किया। अतः वादी की तरफ से दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का दावा वादीगण के हक मे डिक्री फरमाया जाकर खेत खसरा न 848 तादादी 0.12 हैक्टर खसरा न 478 तादादी 4.39 हैक्टर कुल 4.51 हैक्टर भूमि मे वादीगण जगदीश व सुलतान पिता मनीराम का 10/18 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे। विक्रय पत्र दिनांक 31.08.2016 को वादीगण के हक अधिकारों पर शून्य व बेअसर होने पर खारिज फरमाने का निवेदन किया है। उक्तानुसार दावा पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। प्रतिवादीगण की तामील जरिये डाक रजिस्ट्री द्वारा दिनांक 29.11.2017 के द्वारा करवाई गई। परन्तु इस दौरान प्रतिवादीगण न. 1 लगायत 7 मे से कोई भी ना तो स्वयं उपस्थित आवें ना ही उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नही होने पर इनके विरूद्ध दिनांक 12.09.2018 को एक पक्षीय कार्यवाही प्रस्तावित की गई। वाद पत्र मे व वादी के द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र मे वर्णित तथ्यों व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व संरपच ग्राम पंचायत उदावास द्वारा जारी प्रमाण–पत्र दिनांक 05.05.1995 व निर्वाचन नामावली वर्ष 2014 व इन्तकाल व विक्रय पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विक्रय पत्र दिनांक 01.09.2016 के द्वारा सीताराम पुत्र मनीराम जाति मेघवाल विक्रेता द्वारा क्रेता रघुवीर पुत्र सांवलराम जाति मेघवाल निवासी तिहावली तहसील रामगढ जिला सीकर के नाम से ग्राम उदावास मे स्थित भूमि खाता संख्या 74 मे खसरा न. 848 रकबा 0.12 हैक्टर व खसरा न. 478 रकबा 4.39 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 4.51 हैक्टर मे से हिस्सा 1.2528 हैक्टर दर हिस्सा 5/18 का बेचान किया गया है। जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 नामान्तरकरण संख्या 534 दिनांक 01.01.2014 के न्यायालय आदेश जरिये दुरूस्ती आदेश से खाते मे दर्ज नाम जगदीश सीताराम पिता भागीरथ हिस्सा 10/18 के स्थान पर जगदीश, सीताराम पिता मनीराम 10/18 नाम स्वीकार किया गया है। सरपंच ग्राम पंचायत उदावास द्वारा जारी प्रमाण–पत्र दिनांक 05.05.1995 के द्वारा मनीराम मेघवाल निवासी उदावास के दो पुत्र जगदीश व सुलतान होना व इनके अलावा अन्य कोई पुत्र नही होना अपने प्रमाण–पत्र मे जारी किया गया है। उपरोक्त सभी तथ्यो के मध्यनजर वादीगण नम्बर 1 व 2 के हक हिस्से की भूमि के गलत राजस्व रिकॉर्ड का फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 4 सीताराम पुत्र पेमाराम जाति मेघवाल निवासी उदावास द्वारा स्वयं को मनीराम का विधिक वारिस बताया जाना तथा मनीराम के दो पुत्र जगदीश व सुलतान के अलावा अन्य कोई वारिस नही होना जाहिर है। इस प्रकार उक्त कूटरचित दस्तावेज विक्रय पत्र के माध्यम से विवादित भूमि को विक्रय किया जाना जाहिर होता है। इस प्रकार कूटरचित दस्तावेज को वादीगण के हक हिस्से पर शून्य व बेअसर मानते हुए सम्पति अन्तरण अधिनियम, 1982 धारा 52 की रोशनी मे वादीगण के हक हिस्से तक बेअसर व शून्य घोषित किया जाकर वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम उदावास मे स्थित भूमि खसरा न 848 तादादी 0.12 हैक्टर, खसरा न. 478 रकबा 4.39 हैक्टर कुल रकबा 4.51 हैक्टर भूमि मे वादीगण जगदीश व सुलतान पिता मनीराम का हक हिस्सा 10/18 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व विक्रय पत्र दिनांकित 01.09.2016 को वादीगण के हक हिस्से तक शून्य व बेअसर घोषित किया जाता है। शेष जमाबन्दी बदस्तूर । तहसीलदार झुंझुनू को आदेशित किया जाता है कि व गलत राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करते हुए उक्त घोषणानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद कर पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय दिनांक 24.09.2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

24/9/18

(अलका बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू
उप खण्ड अधिकारी
झुंझुनू (राज.)

Scanned by CamScanner

7

मुल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6 एवं 7 जा.दी.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती अलका बिश्नोई (आर0ए0एस0)

उनवान

जगदीश वगैरह बनाम ताराचन्द वगैरह

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकॉर्ड दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0 50 / 2017 निर्णय दिनांक: 24.09.2018

वादीगण की ओर से वकील वादीं उपस्थित। इस वाद में आज तारीख 24.09.2018 को श्रीमती अलका बिश्नोई, उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम उदावास मे स्थित भूमि खसरा न. 848 तादादी 0.12 हैक्टर, खसरा न. 478 रकबा 4.39 हैक्टर कुल रकबा 4.51 हैक्टर भूमि मे वादीगण जगदीश व सुलतान पिता मनीराम का हक हिस्सा 10 / 18 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व विक्रय पत्र दिनांकित 01.09.2016 को वादीगण के हक हिस्से तक शून्य व बेअसर घोषित किया जाता है। शेष जमाबन्दी बदस्तूर । तहसीलदार झुंझुनू को आदेशित किया जाता है कि व गलत राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करते हुए उक्त घोषणानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद कर पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज दिनांक 24.09.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू (राज.)

(अलका बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू

वादी के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	2	स्टाम्प वकालतनामा	0
स्टाम्प वकालतनामा	36	स्टाम्प अर्जी	0
स्टाम्प वजह सबुत		मेहनतनामा वकील पर	
मेहनतनामा वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिशनर	
फीस कमिशनर		बाबत इजराय हुक्मनामा	
बाबत इजराय हुक्मनामा		मुतफरिक	
कुल	38	कुल	0

24/9/18

(अलका बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू

उप खण्ड अधिकारी
झुंझुनू (राज.)

Scanned by CamScanner